(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड–3, उप–खंड (1) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 22 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उप–धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. लघु शीर्षक तथा आरम्भ

(1) इन नियमों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां) नियमावली, 2005 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा–** इन नियमों के अंतर्गत, जबतक कि संदर्भ के अन्तर्गत अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" का आशय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, 2004 (2005 का 2) से है।

(ख) "अध्यक्ष" का आशय आयोग के अध्यक्ष से है।

(ग) शब्दों तथा अभिव्यक्तियों जिनका यहां प्रयोग किया गया है तथा जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही आशय होंगे जैसा कि अधिनियम में दिए गए हैं।

3. अध्यक्ष की शक्तियां – अध्यक्ष को इन नियमों की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में शक्तियां प्राप्त होंगी :–

बशर्ते कि वित्तीय शक्तियों का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए किसी कार्यविधिक अथवा अन्य अनुदेशों अथवा नियमों के अध्यधीन होगा ।

अनुसूची

(नियम – 3 देखें)

1. स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां और पदोन्नतियां
2. छुट्टी की मंजूरी
3. सामान्यतः स्थापना संबंधी मामले
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष स्वीकृत अनुदान में इस उद्देश्य के लिए आवंटित राशि की सीमा के भीतर आकस्मिक व्यय
5. एक उप-शीर्ष से अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोजन
6. केन्द्र सरकार को सूचित करते हुए क्षतियों तथा त्रुटियों को बट्टे खाते में डालना
7. फटी-पुरानी वस्तुओं का निपटान
8. सरकारी उपयोग के लिए वाहनों को किराए पर लेना
9. आयोग के समुचित कार्यकरण के लिए अग्रिम राशियों की स्वीकृति तथा इनकी वसूली
10. केन्द्र सरकार की अनुमति से सरकारी उपयोग के लिए किराए पर आवास लेना।

सं0 एफ0 7-6/2005-एम0सी0(पी0)

(सुनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, नई दिल्ली-110064

प्रति प्रेषित :-

1. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
2. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
3. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली